दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

होटल के पास अवैध रूप से डम्प आयरन जप्त, होटल संचालक के विरूद्ध कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर मौहाचौक तुमीडीह भोजनालय के पास अवैध रूप से डम्प किये हुये पिग आयरन करीब डेढ क्विंटल कीमती 3000 रूपये की जप्ती की गई । होटल संचालक से पिग आयरन रखने के संबंध में कागजात की मांग की गई, नहीं पेश करने पर संचालक खिरेश्वर महकूल पिता आनंदीचरण 50 वर्ष निवासी मानपुर थाना आल जिला केन्द्रापरा ओडिसा हाल मुकाम तुमीडीह थाना पूंजीपथरा के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 12/19 धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही की गई है ।

सौर प्लेट की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़। ग्राम कमरगा थाना लैलूंगा निवासी रामेश्वर सिदार पिता स्व0 रतिराम सिदार द्वारा थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2018 में कृषि कार्य के लिये शासन की ओर से अपने खेत में सौर ऊर्जा लगाया था जिसमें 09 नग सौर प्लेट लगा हुआ था । दिनांक 09/09/19 को खेत में काम करने के बाद शाम को रामेश्वर सिदार घर आ गया था दूसरे दिन सुबह खेत गया तो देखा कोई अज्ञात चोर 02 नग सौर ऊर्जा प्लेट कीमती 4 हजार रूपये को चोरी कर ले गया था । चोरी की रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में अप.क्र. 204/19 धारा 379 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया ।

दरवाजा की कुण्डी तोड़कर 2 मोबाईल सहित 30 हजार की चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। रेंजरपारा सारंगढ़ में रहने वाली श्रीमति सुलोचना सोनी उम्र 30 वर्ष दिनांक 19.09.19 को थाना सारंगढ़ में अपने घर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करायी, रिपोर्टकर्ता ने बताया कि दिनांक 15.09.19 को रायगढ़ आयी थी घर पर इसकी बेटी और ससुर थे । दिनांक 15-16.09.19 के रात्रि को अज्ञात चोर घर के दरवाजा कुण्डी को तोड़कर 02 नग मोबाईल व पेटी में रखा नगदी रकम 30,000 रूपये को चोरी कर ले गये था । चोरी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 433/19 धारा 457, 380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सप्ताह भर से लापता 3 युवतियां ऋतेशवर महराज के आश्रम में मिलीं

» परिजनों ने रितेश्वर महाराज पर लगाए गम्भीर आरोप

रायगढ़ (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के केराझार ग्राम पंचायत के डोंगाढकेल गांव से बीते 10 सितंबर से तीन युवतियां गायब हैं मामले में गायब युवतियों के परिजनों का आरोप है कि रितेश्वर महाराज ने उनके बच्चियों को ब्रेनवॉश कर वृंदावन के आश्रम में ले गए हैं। युवतियों के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटियां रितेश्वर महाराज से प्रभावित होकर घर में बिना बताए उत्तरप्रदेश के वृंदावन स्थित आनंदधाम आश्रम चली गई है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि लड़कियां बालिग हैं, वह अपनी मर्जी से गई हैं तो उन्हें केवल समझाइश दी जा सकती है। पुलिस का कहना है कि अगर वह आना चाहती हैं तो अपनी मर्जी से आ सकती हैं।

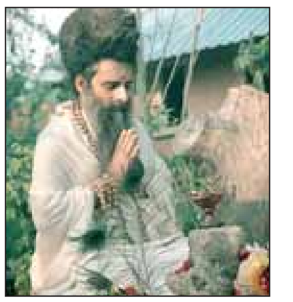

परिजनों ने बताया कि, पिछले चार साल पहले युवतियों की मुलाकात रितेश्वर महाराज से उनके ही गांव डोंगाढकेल में हुई थी इस दौरान रितेश्वर महाराज युवतियों के गांव में प्रवचन देने पहुंचे थे और उन्हीं के घर में कई दिनों तक रुके थे प्रवचन के दौरान युवतियां गुरुजी के साथ गांव में होने वाली कृष्ण लीला में गोपियों की भूमिका निभाती थी धीरे-धीरे तीनों युवतियां गुरुजी से प्रभावित होने लगीं तीनों युवतियों में 02 बहने सगी और 01 दोनों की पड़ोसी बताई जा रही है। तीनों बीते 10 सितंबर से अपने घर से बिना कुछ बताए वृंदावन आश्रम के लिए गई थी।

लड़कियों के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटियों को मतिभ्रम कर बुलाया गया है आश्रम जाने के बाद वह अपने परिजनों से मिलना नहीं चाहती हैं तीनों युवतियां अपने घर से मोबाइल, पैसे या कोई अन्य सामान लेकर नहीं गई हैं, लेकिन फेसबुक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रही हैं और घर आने से मना कर रही हैं।

परिजनों ने बताया कि लड़कियों ने घर छोड़ने से पहले एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने गुरु को माता-पिता से ऊपर बताते हुए घर छोड़ने की बात कही थी साथ ही सभी ने पत्र में उसे न ढूंढने की बात लिखी है। ईधर मामले में रायगढ़ पुलिस का कहना है कि युवतियां बालिग हैं और वह अपनी मर्जी से घर से गई हैं, फ़िर भी परिजनों के द्वारा भूपदेवपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसके आधार पर जांच के बाद युवतियों का लोकेशन मथुरा में मिला है इसके आधार पर वहीं की पुलिस से संपर्क किया गया है पुलिस ने बताया कि रायगढ़ पुलिस एक टीम बनाकर वहां भेज रही है, अगर युवतियां घर आने के लिए तैयार हो जाती हैं तो वह आ सकती हैं और उन्हें लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 28 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 28 सितम्बर 2019 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निश्क्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिको को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुआ है इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर रायगढ़ के दिशा-निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी के मार्गदर्शन में जिले के समस्त बीईटीओ, प्रभारी बीईटीओ, समस्त काउंसलर, प्रभारी काउंसलर, समस्त फार्माशिष्ट, प्रभारी फार्माशिष्ट का सीएमएचओ कार्यालय के आरोग्य सभाकक्ष में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें उपस्थित समस्त रायगढ़ जिले के सामुदायिक स्वा.केन्द्रों एवं प्राथ.स्वा.केन्द्रों से आए हुए समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों तथा आर.एम.सी.एच.ए.कन्सल्टेंट डॉ.राजेश मिश्रा एवं मिडिया अधिकारी श्रीमती उमा महंत के द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई।

लोक शिक्षण संचालनालय के उपसंचालक जे.पी.रथ ने किया स्कूलों का सघन निरीक्षण

» दो प्राचार्य अनाधिकृत रूप से गायब

न्याय साक्षी/रायगढ़। लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के उप संचालक (प्रभारी अधिकारी रायगढ़ जिला)जे.पी.रथ द्वारा गत दिवस जिले के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया गया। जिसमें विकासखण्ड तमनार अंतर्गत शा.उ.मा.वि.धौंराभाठा में पदस्थ प्राचार्य शरद कुमार मिश्रा अनुपस्थित पाए गए एवं वर्तमान माह की उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया। वहीं शा.उ.मा.वि.उरबा के प्राचार्य बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश आवेदन के संस्था में अनुपस्थित पाए गए। शा.बालक माध्यमिक शाला तमनार में टायलेट एवं बिजली की कमी पायी गई। शा.प्राथमिक शाला पेलमा से एक शिक्षक ललित कुमार जगत व्यवस्थान्तर्गत अन्यत्र कार्य करना पाया गया। आदर्श ग्राम्य भारती तमनार एवं मिलूपारा, शा.उ.मा.वि.तमनार, आदर्श ग्राम्य भारती धौराभांठा, आमगांव तथा पूर्व माध्यमिक शाला पेलमा का भी निरीक्षण किया गया जहां सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई।

विकासखण्ड पुसौर अंतर्गत शा.प्राथमिक शाला धनुआर डेरा में शौचालय को छोड़कर शेष व्यवस्थाएं अच्छी पायी गई। माध्यमिक शाला एकताल, प्राथमिक शाला झारापारा बड़माल, रेंगालपाली, कोसमन्दा तथा पूर्व माध्यमिक शाला छिछोर उमरिया तथा अभिनव विद्या मंदिर पुसौर का भी आकस्मिक निरीक्षण किया जिसमें शा.उ.मा.वि.छिछोर उमरिया में ई-स्मार्ट क्लास तथा नवाचार के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। ज्ञात हो कि शासन के निर्देशानुसार शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, शाला में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन, अध्ययन अध्यापन की स्तर एवं मुलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता, गणवेश, नवाचार आदि पर सतत् निगरानी हेतु सभी 28 जिलों में राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न जिलों में सतत् भ्रमण एवं मॉनिटरिंग कर शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा रहा है।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी
एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री त्यागमत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐश्वर्या श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
● संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
● पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
● संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
● संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
● संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

Topper Students
Last Session
Tarun 90%
Yamini 98%
Shraddha 93%
Priyanka 96%
Preena 84%
Hitendra 99%
Akanksha 90%
Geetanjali 99%
Chetna 94%
Arpita 93%
Arpita 98%
Rakesh 97%
Sejal 88%
Shiva 97%
Topper Students
Last Session
Sushant 92%
Prince 97%
Kusum 98%
Abhishek 99%
Aayush 93%
Prachi 97%
Tulika 96%
Pari 96%
Aradhya 97%
Ananya 99%
Ashish 96%
Ankita 99%
Join
CAREER...

CAREER SCHOOL
HINDI & ENGLISH MEDIUM SCHOOL
स्थापना दिनांक 1 जुलाई 1996
पिछले 22 वर्षो से लगातार बच्चों के साथ...
ADMISSION OPEN
ENGLISH MEDIUM
For Nuresery to 10th
Major Facts
1/ Well Qualified Teachers....
2/ A perfact ratio of Techers and Students regarding classes...
3/ Complete Caring Atmosphere.
4/ Good and Equipped Class rooms....
5/ Value based education like daily classes for Logical Maths, G.K.,English Grammar....
6/ CCTV equipped School...
7/ Scientific and Cultural Activities Every Saturday....
8/ And above all Attention on Each and Every Student of the School....
CAREER SCHOOL
ENGLISH MEDIUM
BEHIND STADIUM STREET
RAIGARH C.G.
07762-221359

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090
ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480